



प्रेस नोट

थाना बाबूगढ़

दिनांक 31.07.2021

थाना बाबूगढ़ पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तार व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 355/21 धारा 60(1)बी आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कलवा उर्फ कालू पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम रसूलपुर बहलोलपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 227/21 धारा 60(1)बी आबकारी अधिनियम थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

2-मु0अ0सं0 355/21 धारा 60(1)बी आबकारी अधिनियम थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

20 पच्चे अवैध देशी शराब मार्का मिस इंडिया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री राकेश कुमार मावी थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

2- है0का0 432 हरेन्द्र कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

3- है0का0 130 कर्णवीर सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

4- हो0गा0 997 योगेन्द्र सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।